माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर

(पुँवारका, सहारनपुर, उ0प्र0, पिन–247120)

Website- msuniversity.ac.in Email ID-dyregistrar@msuniversity.ac.in

पत्रांक : 114 / 37 / एके0 / एम0एस0यू0 / 2025–26 दिनांक: 20 / 05 / 2025

सेवा में,

प्रबन्धक / प्राचार्य / प्राचार्या,
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
जनपद–सहारनपुर, शामली एवं मुजफ्फरनगर।

विषयः– **AICTE से निर्गत अनुमति पत्र उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।**

महोदय, महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि शैक्षिक सत्र 2025–26 की प्रवेश प्रक्रिया विश्वविद्यालय द्वारा प्रारम्भ की जा चुकी है। जैसा कि आप अवगत है कि BBA, BCA पाठ्यक्रमों मे संचालन हेतु 2024–25 शैक्षिक वर्ष से AICTE द्वारा Letter of Approval जारी किया जा रहा है।

उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय के पत्रांक 1823 / प्रशा0 / MSU / 2024–25 दिनांक 20.02.2025, 1905 / 02 / प्रशा0 / MSU / 2024–25 दिनांक 16.03.2025, 70 / 02 / प्रशा0 / MSU / 2025–26 दिनांक 18.04.2025 एवं 230 / 02 / सम्ब0 / MSU / 2025–26 दिनांक 09.05.2025 द्वारा सम्बद्ध महाविद्यालयों को विभिन्न अभिलेख / पत्राजात यथा– अनुमोदित प्राचार्य, शिक्षकों का अनुमोदन पत्र, अनुमोदित प्रबन्ध समिति का पत्र, प्राचार्य / शिक्षकों के वेतन भुगतान का प्रमाण पत्र (प्राचार्य / शिक्षक के पासबुक की एक वर्ष की प्रमाणित प्रति), AISHE प्रमाण–पत्र (सत्र 2023–24) विश्वविद्यालयों को उपलब्ध कराने हेतु पत्र निर्गत किये गये थे। जिसके सापेक्ष अद्यतन अल्पतर महाविद्यालयों द्वारा ही अभीष्ट अभिलेखो की पत्रावली विश्वविद्यालय को प्राप्त करायी गयी हैं।

इस सम्बन्ध में मा0 कुलपति जी के आदेशानुसार मुझें यह कहने का निदेश हुआ है कि जिन महाविद्यालयों में प्रबन्धन और कम्प्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक स्तरीय (बी0बी0ए0 एवं बी0सी0ए0) पाठ्यक्रम संचालित है, उनके द्वारा AICTE द्वारा Letter of Approval के साथ–साथ विश्वविद्यालय के पत्र दिनांक 20.02.2025, 16.03.2025, 18.04.2025 एवं 09.05.2025 द्वारा चाहे गये अभिलेखो व पत्राजात शीघ्र–अतिशीघ्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे विश्वविद्यालय के प्रवेश पोर्टल पर प्रवेश की अनुमति पर विचार किया जा सकें, अन्यथा की स्थिति में शैक्षिक सत्र 2025–26 से प्रवेश की अनुमति प्रदान किया जाना सम्भव नहीं हो सकेगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व महाविद्यालय का होगा।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

20-5-25

उपकुलसचिव
(शैक्षणिक)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

01. कुलपति कार्यालय को मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
02. कुलसचिव।
03. गार्ड फाइल।

उपकुलसचिव
(शैक्षणिक)

माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर

(पुंवारका, सहारनपुर, उ0प्र0, पिन–247120)

Website- msuniversity.ac.in Email ID – registrar@msuniversity.ac.in

पत्रांक : 230 / 02 / प्रशा0 / MSU / 2025–26 दिनांक : 09-5-25

सेवा में,

शीर्ष प्राथमिकता / तत्काल

प्रबन्धक / प्राचार्य / प्राचार्या,
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय

विषय – महाविद्यालय में नियुक्त शिक्षक, प्राचार्य, प्रबन्ध समिति एवं अन्य विवरण प्रेषित करने के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक विश्वविद्यालय के पत्र संख्या –1823 प्रशा0 / MSU / 2024–25, दिनांक 20.02.2025 [illegible] संख्या–1905 / 02 / प्रशा0 / MSU / 2024–25, दिनांक: 16.03.2025 एवं पत्र संख्या–70 / 02 / प्रशा0 / [illegible] दिनांक: 18.04.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा विश्वविद्यालय परिनियम की धारा [illegible] अनुदानित महाविद्यालय में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत संचालित पाठ्यक्रम एवं स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों में नियुक्त [illegible] प्राचार्य, शिक्षकों का अनुमोदन पत्र, अनुमोदित प्रबन्ध समिति का पत्र, प्राचार्य / शिक्षकों के वेतन भुगतान का प्रमाण–पत्र (प्राचार्य / शिक्षक के पासबुक की एक वर्ष की प्रमाणित प्रति), AISHE प्रमाण–पत्र (सत्र 2023–24), महाविद्यालय में अध्ययनरत समस्त छात्रों का समर्थ पोर्टल पर पंजीकरण का प्रमाण–पत्र इत्यादि विश्वविद्यालय में दिनांक : 26.04.2025 तक सहा0 कुलसचिव (सम्बद्धता) को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था, किन्तु अधिकांश महाविद्यालयों द्वारा अभी तक [illegible] विवरण विश्वविद्यालय में जमा नहीं कराये गये है।

उक्त प्रकरण पर कार्यपरिषद की बैठक दिनांक: 8.05.2025 के प्रस्ताव संख्या: 06.01 के अन्तर्गत विचार किया गया। कार्यपरिषद द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निम्नवत निश्चय किया गया:–

"विश्वविद्यालय से सम्बद्ध जिन महाविद्यालयों में प्रबन्ध समिति, मानकानुसार शिक्षक, वेतन भुगतान अन्य आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता नहीं हैं वह महाविद्यालय 10 जून, 2025 तक किसी भी दशा में उक्त कमियों को पूर्ण कर सम्बन्धित अभिलेख विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में जिन महाविद्यालयों द्वारा कमियो को पूर्ण करते [illegible] सम्बन्धित अभिलेख विश्वविद्यालय में निर्धारित तिथि तक उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं उन महाविद्यालयों मे शैक्षिक सत्र 2025–26 में प्रवेश हेतु प्रवेश पोर्टल किसी भी दशा में न खोला जाये।"

इस सम्बन्ध में मुझे पुनः यह कहने का निर्देश हुआ है कि कार्यपरिषद द्वारा लिये गये उक्त निर्णय [illegible] अनुमोदित प्राचार्य, शिक्षकों का अनुमोदन पत्र, अनुमोदित प्रबन्ध समिति का पत्र, प्राचार्य / शिक्षकों के वेतन भुगतान का प्रमाण–पत्र (प्राचार्य / शिक्षक के पासबुक की एक वर्ष की प्रमाणित प्रति), AISHE प्रमाण–पत्र (सत्र 2023–24), महाविद्यालय में [illegible] समस्त छात्रों का समर्थ पोर्टल पर पंजीकरण का प्रमाण–पत्र इत्यादि अभिलेख विश्वविद्यालय में अनिवार्य रूप से [illegible] 2025 तक जमा कराना सुनिश्चित करें, यदि महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति अनुमोदित नहीं है या मानकानुसार शिक्षक [illegible] नहीं अथवा अन्य आधारभूत कमियां है तो उनका तत्काल नियमानुसार प्रक्रिया का पालन करते हुए विश्वविद्यालय से अनुमोदित कराकर प्रत्येक दशा में दिनांक: 10 जून, 2025 तक पत्रावली समस्त अभिलेख सहित सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता) को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जिन महाविद्यालयों द्वारा उक्त विवरण विश्वविद्यालय में प्रेषित नहीं किया जायेगा उन महाविद्यालयों के सत्र 2025–26 में किसी भी दशा में प्रवेश नहीं खोले जायेगे। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित महाविद्यालय का होगा।

भवदीय

(वीरेन्द्र कुमार मौर्य)
कुलसचिव

प्रतिलिपि अधोलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

01. परीक्षा नियंत्रक।
02. वित्त अधिकारी।
03. उपकुलसचिव।
04. सहायक कुलसचिव(सम्बद्धता) को इस आशय से प्रेषित कि महाविद्यालयों द्वारा [illegible] विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति से परीक्षण कराकर पाठ्यक्रम / विषय की सीटों का [illegible] उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
05. कुलपति कार्यालय को मा0 कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।

कुलसचिव

प्रो. मनीष र. जोशी
सचिव
Prof. Manish R. Joshi
Secretary

सत्यमेव जयते

भारत 2023 INDIA

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission
(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Education, Govt. of India)

D.O.No.2-79/2023(CPP-II) 8 January, 2024/ 18 पौष 1945

Subject: Bringing UG courses in Management & Computer Applications under AICTE Regulations

Respected Madam/Sir,

As you are aware, "Technical Education" and its related aspects are controlled and governed by the All India Council for Technical Education Act, 1987. Section 2(g) of the AICTE Act defines Technical Education:

"Technical Education" means Programmes of education, Research and Training in Engineering Technology, Architecture, Town Planning, Management, Pharmacy and Applied Arts and Crafts and such other Programme (or) areas as the Central Government may, in consultation with the Council, by notification in the Official Gazette

To date, the AICTE was regulating only the Post Graduate Programs in Management (MBA) and Computer Applications (MCA). However, from next academic year, AICTE has decided to regulate institutions offering BBA, BMS & BCA courses in view of maintaining uniform quality & academic standards across Management and Computer Applications Programs on the similar lines of Post Graduate Courses/Programmes (MCA/MBA).

As informed by the AICTE, approved Institutes have benefits like, Faculty Development Programs, Scholarship Schemes for students, Model Curriculum, Free access E-Books in Indian Languages through e-Kumbh Portal, Margdarshan Scheme for Institutions, PARAKH – Performance Analysis and Review for Holistic Development, etc.

The State Public Universities are requested to communicate the above information to all its affiliated institutions which are offering or intend to offer programmes/courses in BBA, BMS & BCA, for compliance.

AICTE may be contacted for further details.

With kind regards,

Yours sincerely,

(Manish Joshi)

To
The Vice-Chancellors of all the State Public Universities
The Principals of all Colleges/Institutes

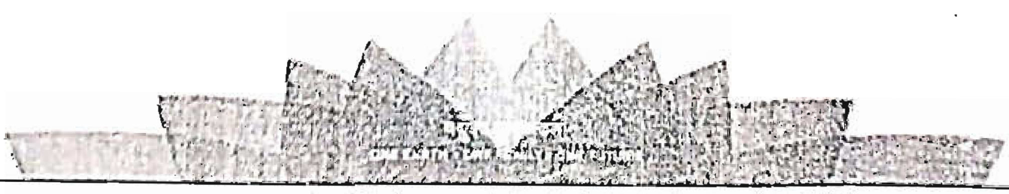

बहादुरशाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002 / Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002
Ph: 011-23236288/23239337 Fax: 011-2323 8858 E-mail: secy.ugc@nic.in